
 Government eProcurement System	eProcurement System Government of India	
	Tender Details	
	Date : 15-Oct-2024 04:36 PM	
	 Print	

Basic Details

Organisation Chain	Department of Agricultural Research and Education Indian Council of Agricultural Research,DoARE,MoA CSWRI-Rajasthan - DoARE		
Tender Reference Number	6(378)SP/2024		
Tender ID	2024_DARE_830848_1	Withdrawal Allowed	Yes
Tender Type	Open Tender	Form of contract	Lump-sum
Tender Category	Works	No. of Covers	2
General Technical Evaluation Allowed	No	ItemWise Technical Evaluation Allowed	No
Payment Mode	Offline	Is Multi Currency Allowed For BOQ	No
Is Multi Currency Allowed For Fee	No	Allow Two Stage Bidding	No

Payment Instruments

Offline	S.No	Instrument Type
	1	Bankers Cheque
	2	Demand Draft
	3	R-T-G-S
	4	NEFT

Cover Details, No. Of Covers - 2

Cover No	Cover	Document Type	Description
1	Fee/PreQual /Technical	.pdf	1. Scanned copy of Firm Registration certificate
		.pdf	2. Scanned copy of Pan card
		.pdf	3. Scanned copy of relevant experience/satisfactory service certificate at least 5 years in govt/aut
		.pdf	4. Scanned copy of GST Certificate. In case, if contractor is not eligible for GST, a certificate is
		.pdf	5. Scanned copy of ESI and EPF Registration
		.pdf	6. Scanned copy of D.D. of E.M.D
		.pdf	7. Scanned copy of Tender acceptance letter (Annexure I)
		.pdf	8. Scanned copy non blacklisting certificate (Annexure II)
2	Finance	.xls	Price bid

Tender Fee Details, [Total Fee in ₹ * - 0.00]

Tender Fee in ₹	0.00		
Fee Payable To	Nil	Fee Payable At	Nil

EMD Fee Details

EMD Amount in ₹	10,000	EMD Exemption Allowed	Yes
EMD Fee Type	fixed	EMD Percentage	NA

Tender Fee Exemption Allowed	No	EMD Payable To	ICAR UNIT CSWRI	EMD Payable At	SBI Malpura
-------------------------------------	----	-----------------------	-----------------	-----------------------	-------------

[Click to view modification history](#)

Work / Item(s)					
Title	Work contract related to internal security and housekeeping of postgraduate hostel and auditorium of the institute.				
Work Description	Work contract related to internal security and housekeeping of postgraduate hostel and auditorium of the institute.				
Pre Qualification Details	Please refer Tender documents.				
Independent External Monitor/Remarks	NA				
Show Tender Value in Public Domain	Yes				
Tender Value in ₹	5,00,000	Product Category	Job Works	Sub category	NA
Contract Type	Tender	Bid Validity(Days)	180	Period Of Work(Days)	365
Location	CSWRI AVikangar	Pincode	304501	Pre Bid Meeting Place	NA
Pre Bid Meeting Address	NA	Pre Bid Meeting Date	NA	Bid Opening Place	CSWRI Avikangar
Should Allow NDA Tender	No	Allow Preferential Bidder	No		

Critical Dates			
Publish Date	15-Oct-2024 04:00 PM	Bid Opening Date	06-Nov-2024 03:00 PM
Document Download / Sale Start Date	16-Oct-2024 04:00 PM	Document Download / Sale End Date	05-Nov-2024 03:00 PM
Clarification Start Date	NA	Clarification End Date	NA
Bid Submission Start Date	16-Oct-2024 04:00 PM	Bid Submission End Date	05-Nov-2024 03:00 PM

Tender Documents

NIT Document	S.No	Document Name	Description	Document Size (in KB)
	1	Tendernotice_1.pdf	NIT	824.54

Work Item Documents	S.No	Document Type	Document Name	Description	Document Size (in KB)
	1	Tender Documents	PGHOSTELFINELTENDER.pdf	NIT	806.90
2	BOQ	BOQ_873056.xls	Price bid	276.50	

Bid Openers List

S.No	Bid Opener Login Id	Bid Opener Name	Certificate Name
1.	sanjay.sharma2@icar.gov.in	Sanjay Sharma	SANJAY SHARMA
2.	raman.kalasua@icar.gov.in	Raman Lal Kalasua	RAMAN LAL
3.	mahaveer.prasad@icar.gov.in	Mahavir Prasad	MAHAVIR PRASAD

Tender Properties

Auto Tendering Process allowed	No	Show Technical bid status	Yes
Show Finance bid status	Yes	Stage to disclose Bid Details in Public Domain	Technical Bid Opening

BoQ Comparative Chart model	Normal	BoQ Compartive chart decimal places	2
BoQ Comparative Chart Rank Type	L	Form Based BoQ	No

TIA Undertaking

S.No	Undertaking to Order	Tender complying with Order	Reason for non compliance of Order
1	PPP-MII Order 2017	Agree	
2	MSEs Order 2012	Agree	

Tender Inviting Authority

Name	Director CSWRI Avikangar
Address	Director CSWRI Avikanga

Tender Creator Details

Created By	Mahavir Prasad
Designation	Assistant
Created Date	15-Oct-2024 03:18 PM



Email:purchase.cswri@icar.gov.in
: 01437-220177, फ़ैक्स नं. 91-01437-220163

भा.कृ.अ.प.- केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान
अविकानगर, तह0 मालपुरा, जिला-टोंक (राजस्थान)-304501
ICAR-Central Sheep & Wool Research Institute
Avikanagar, Teh.Malpura, Dist.Tonk (Rajasthan) – 304501



क्रमांक: 6(378)एसपी/2024

दिनांक: 15-10-2024

NOTICE INVITING TENDER THROUGH CPP PORTAL

Online Bids are invited from the interested firms under two bid system for संस्थान के स्नातकोत्तर छात्रावास व ऑडोटेरियम की आन्तरिक सुरक्षा एवं हाऊस कीपिंग से सम्बन्धित कार्य at **ICAR-CENTRAL SHEEP & WOOL RESEARCH INSTITUTE, AVIKANAGAR, MALPURA, DISTT. TONK, RAJASTHAN, PIN 304501.** Manual bids shall not be entertained.

Tender documents may be downloaded from CPP portal <https://eprocure.gov.in/> and www.cswri.res.in as per the schedule as give in CRITICAL DATE SHEET as under:

CRITICAL DATE SHEET

Tender No.	6(378)SP/2024/
Date and Time for issue/Publishing	15-10-2024 at 4.00 PM
Document Download/Sale start date and time	16-10-2024 at 4.00 PM
Bid Submission Start Date and Time	16-10-2024 at 4.00 PM
Bid Submission End Date and Time	05-11-2024 at 3.00 PM
Date and Time for Opening of Bids	06-11-2024 at 3.00 AM
Tender fee and Earnest money	EMD- 10,000/-
Security money	Security money-5% of value of the contract
Bank detail	ICAR UNIT -CSWRI, Avikanagar payable State Bank of India Branch – Malpura, Tonk, Rajasthan
Address for Communication	Assistant Administrative Officer, C.S.W.R.I., Avikanagar, Malpura, Distt. Tonk, RajasthanPin- 304501

Assistant Administrative Officer

Chapter I- Instruction to bidders

1. The tender form/bidder documents may be downloaded from website: <https://eprocure.gov.in/>
Online submission of Bids through Central CPP Portal <https://eprocure.gov.in/> is mandatory.
Manual/Offline bids shall not be accepted under any circumstances.
2. Tenders/bidders are requested to visit website <https://eprocure.gov.in/> regularly. Any changes/modifications in tender enquiry will be intimated by corrigendum through this website only.
3. In case, any holiday is declared by the Government on the day of opening, the tenders will be opened on the next working day at the same time. The Institute reserves the right to accept or reject any or all the tenders.
4. The interested Firms are required Earnest Money Deposit (EMD) in original of the amount mentioned against item in the form of Demand Draft from any of the Nationalised Bank **in favour of ICAR UNIT -CSWRI, Avikanagar payable at SBI, MALPURA** may be addressed to the Administrative Officer, C.S.W.R.I., Avikanagar, Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501 on or before bid opening date and time as mentioned in the Critical Date Sheet.
5. Bidders need not be come at the time of Technical as well as financial bid opening at ICAR-CSWRI, Avikanagar. They can view live bid opening after login on CPP e-procurement portal at their remote and, If bidder wants to join bid opening event at ICAR-CSWRI, Avikanagar then they have to come with bid acknowledge slip that generates after successfully submission of online bid.

The Firms are also required to upload scanned copies of the following documents:

1. Scanned copy of Firm Registration certificate
2. Scanned copy of Pan card
3. Scanned copy of relevant experience/satisfactory service certificate at least 5 years in govt/autonomous body.
4. Scanned copy of GST Certificate. In case, if contractor is not eligible for GST, a certificate is required showing his turnover less than Rs.20 lakhs of his claim is to be sustained by documentary evidence like ITR (Income Tax Return), balance sheet, profit & Loss Statement etc.
5. Scanned copy of ESI and EPF Registration
6. Scanned copy of D.D. of E.M.D.
7. Scanned copy of Tender acceptance letter (Annexure I)
8. Scanned copy non blacklisting certificate (Annexure II)

All necessary documents in support of the details for S.No. 1 to 8 must accompany the technical bid. The bid is liable to be rejected in case documents are not uploaded in the technical bid on CPP Portal; documents are incomplete or in case any certification/registration has already expired but is yet to be renewed. Only essential and necessary valid documents are to be uploaded in the technical bid. Please avoid uploading extraneous and irrelevant documents which unnecessary cause confusion.

Assistant Administrative Officer

Chapter II- Scope of Work

संस्थान के स्नातकोत्तर छात्रावास व ऑडोटोरियम की आन्तरिक सुरक्षा, हाऊस कीपिंग तथा मैस संचालित करने से सम्बन्धित कार्य को

वार्षिक अनुबन्ध/जॉब कोन्ट्रैक्ट के आधार पर सम्पन्न करवाने की नियम व शर्तें

1. अनुबन्धकर्ता को स्नातकोत्तर छात्रावास में ठहरने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों/व्यक्तियों से सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन फार्म भरवाकर विद्यमान बुकिंग रजिस्टर में प्रविष्टी करवाने के बाद प्रभारी/केयर टेकर की अनुमति से रूम खोला जावे। साथ ही कमरा खाली करने से पूर्व बुकिंग रजिस्टर के चेक आउट कॉलम में हस्ताक्षर एवं फीड बैक फार्म भरा जाना होगा (ऐच्छिक)। साथ ही रूम खाली करते समय संस्थान के स्थाई/अस्थायी सामान को जांच लें तथा किराया जमा कराने हेतु संस्थान के केयर टेकर को सूचित करें।
2. छात्रावास के मैस का समय सुबह 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक रहेगा लेकिन सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा छात्रावास समय में परिवर्तन किया जा सकता है जिसे अनुबन्धकर्ता को मानना होगा।
3. अनुबन्धकर्ता को छात्रावास में आने वाले प्रशिक्षणार्थियों/मेहमानों को आवश्यकतानुसार निर्धारित समय पर चाय, नास्ता, दोपहर व रात्रि के भोजन की व्यवस्था करनी होगी तथा उनके द्वारा बिल मांगने पर प्रिन्टेड बिल प्रस्तुत करना होगा।
4. अनुबन्धकर्ता द्वारा भोजन एवं अन्य खाद्य/पेय सामग्री छात्रावास हॉल में ही परोसी जावेगी।
5. अनुबन्धकर्ता को अनुबन्ध की अवधि के दौरान स्वयं ही उपस्थित रहना होगा। प्रतिनिधि या अन्य व्यक्ति स्वीकार नहीं होंगे।
6. अनुबन्धकर्ता को छात्रावास में ठहरने वाले अतिथियों से जिस दिन रूम खाली होता है उसी दिन चार्ज उनमें संस्थान के खाते में डिजिटल माध्यम/ऑनलाईन से जमा कराना होगा। अगर किसी कारणवश/ विशेष परिस्थिती में अतिथि से संस्थान के खाते में ऑनलाईन जमा न होने की दशा में स्वयं लेकर उसी दिन संस्थान के खाते में जमा करवानी होगी।
7. अनुबन्धकर्ता द्वारा छात्रावास के अन्दर (रसोई, भण्डार गृह व भोजनकक्ष में) हर समय साफ सफाई का पूरा ध्यान रखेगा एवं राजस्थान सरकार (स्वास्थ्य विभाग) के मानकों को पूरा करेगा। खाद्य सामग्री की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देने पर अनुबन्ध को दो सप्ताह का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में संस्थान के निदेशक महोदय का निर्णय अन्तिम माना जावेगा।
8. अनुबन्धकर्ता को अनुबन्ध की अवधि में छात्रावास भवन, फर्नीचर आदि संस्थान द्वारा मुक्त उपलब्ध कराये जावेंगे जिसकी देखभाल व उचित रख-रखाव की जिम्मेदारी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी।
9. स्नातकोत्तर छात्रावास में 20 कमरें, 1 भोजन कक्ष, 1 डायनिंग हॉल, 1 मनोरंजन कक्ष, बरामदा एवं लॉन एरिया है। लॉन एवं पोथों की कटाई संस्थान द्वारा माह में एक बार करा दी जायेगी।
10. वर्षा के दिनों में ऑडोटोरियम की छत पर भरने वाले पानी का समय से निकालना होगा तथा इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जावेगी।
11. अनुबन्धकर्ता को ऑडोटोरियम में होने वाले सभी प्रोग्राम हेतु पर्दा चलाना, फर्नीचर व्यवस्थित करना, सजावट में सहयोग करना, मंच की व्यवस्था तथा अन्य कार्य करने होंगे।
12. छात्रावास के अन्दर बिजली के बल्ब/ट्यूबलाईट आदि के खराब होने पर इन्हे विधुत अनुभाग में शिकायत कर बदलवाने की जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी। बिजली की फिटिंग, बल्ब, ट्यूबलाईट, पंखे आदि संस्थान की सम्पति होगी।
13. अनुबन्धकर्ता को छात्रावास अनुबन्ध पर चलाने के लिये अनुबन्ध आदेश जारी करने पर अनुबन्ध शुल्क रूपये 5.00 (अंके पांच रूपये मात्र) प्रतिमाह की दर से अग्रिम जमा कराना होगा। साथ ही इसको समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।
14. अनुबन्ध फीस के अलावा ठेकेदार को फर्नीचर, छात्रावास भवन, फिक्सर, गैस कनेक्शन, वाटर कुलर इत्यादि संस्थान द्वारा उपलब्ध कराने पर अतिरिक्त अनुबन्ध फीस रू.100.00 (अंके सौ रूपये मात्र) प्रति वर्ष की दर से अग्रिम जमा कराने होंगे। साथ ही इसको समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।
15. छात्रावास के अन्दर खाद्य सामग्री बनाने हेतु प्रयोग आने वाले बर्तनों की व्यवस्था स्वयं अनुबन्धकर्ता को करनी होगी। खाद्य/पेय सामग्री रखने/बनाने आदि के लिये साफ बर्तनों को प्रयोग करना होगा। अनुबन्धकर्ता को खाद्य/पेय सामग्री परोसने के बर्तनों को एक बार प्रयोग में आने के बाद वीम पाउडर से साफ करके गर्म पानी से धुलाने की व्यवस्था रोजाना अनुबन्धकर्ता को करनी होगी।

16. अनुबन्ध की अवधि में स्नातकोत्तर छात्रावास के फर्नीचर, डबलबेड, व अन्य सामान को सुव्यवस्थित ढंग से रखना, बेड के तकिये, कम्बल, कवर आदि को आवश्यकतानुसार बदलना एवं अन्य हाऊस कीपिंग कार्य करने के साथ-साथ आवश्यकतानुसार उपलब्ध करवाये जाने वाले सामानों को सभी कमरों में उचित रूप से रखना होगा। साथ ही कन्ज्यूमेबल, नॉन-कन्ज्यूमेबल प्रकृति के सामानों की लिस्ट बनाकर तैयार करनी होगी तथा इनके रख-रखाव का विशेष ध्यान रखना। इन सामानों की किसी भी प्रकार की टूट-फूट अथवा गुम हो जाने की समस्त जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी।
17. अनुबन्धकर्ता को स्नातकोत्तर छात्रावास के डायनिंग हॉल, रसोई एवं कमरों की साफ-सफाई, जाले हटाना, कांचों की सफाई नियमित करनी होगी।
18. अनुबन्धकर्ता को छात्रावास की लाइटों समय पर चालू तथा बन्द करनी होगी तथा किसी भी कमरेमें अकारण एकजॉस्ट फेन, टी.वी., ए.सी. तथा लाईट चालू नहीं रहनी चाहिए।
19. अनुबन्धकर्ता को स्नातकोत्तर छात्रावास की छत की साफ-सफाई रखनी होगी साथ ही छत पर रखी हुई पानी की टंकियों की हर तीन माह में सफाई करनी होगी।
20. अनुबन्ध की अवधि में आवश्यकतानुसार पत्र/डाक आदि कार्यालय में पहुँचाने की व्यवस्था भी अनुबन्धकर्ता को करनी होगी।
21. अनुबन्ध की अवधि में अनुबन्धकर्ता को स्नातकोत्तर छात्रावास में लगे हुयें/लगायें जाने सभी पेड़-पौधों एवं लॉन का रख-रखाव करना होगा एवं प्रभारी द्वारा बतायें जाने पर नये पोधे लगाने एवं अन्य कार्य करना होगा।

कटौतियाँ :-

- 21 स्नातकोत्तर छात्रावास व ऑडोटोरियम में उपलब्ध सामान अनुबन्धकर्ता की लावरवाही से क्षतिग्रस्त होता है अथवा गुम हो जाता है तो उसकी निर्धारित कीमत की भरपाई अनुबन्धकर्ता को करनी होगी।
- 22 अनुबन्धकर्ता द्वारा प्रभारी, स्नातकोत्तर छात्रावास व ऑडोटोरियम के निर्देशानुसार समय पर कार्य नहीं किया जाता है तो 800/- रूपये प्रतिदिन के हिसाब से उनके देय बिल से कटौती की जावेगी।

अनुबन्ध की सामान्य नियम व शर्तें :-

23. अनुबन्ध की अवधि कार्यादेश जारी तिथि से एक वर्ष के लिये होगी, जिसे अनुबन्धकर्ता द्वार लगाए जाने वाले कार्मिकों के तरीके, व्यवहार, खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, साफ-सफाई आदि के संतोषजनक पाये जाने पर आपसी सहमति से एक वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकता है। यदि अनुबन्ध के दौरान अनुबन्धकर्ता की कार्यशैली, व्यवहार, खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, साफ-सफाई आदि संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो अनुबन्ध को समय से पूर्व भी रद्द किया जा सकता है या दो सप्ताह का नोटिस देकर समाप्त/रद्द किया जा सकता है।
24. कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये उचित व न्यूनतम दर ही स्वीकार की जावेगी। निविदा/कोटेशन जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम श्रमिक दर को पूर्ण नहीं करेगी उसे निरस्त समझा जावेगा। साथ ही पेटी ठेका मान्य नहीं होगा।
25. निविदादाता को सरकारी अतिथिगृह/छात्रावास में 5 वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए तथा निविदा के साथ अनुभव प्रमाणपत्र/कार्य संतोषजनक पूर्ण करने की प्रतिलिपि संलग्न करें।
26. अनुबन्धकर्ता के पास स्वयं के नाम से राज्य सरकार के नियमों के अनुसार खाद्य रखने, तैयार करने व विक्रय करने का खाद्य-अनुज्ञा पत्र (फूड लाईसेंस) होना चाहिये। यदि निविदा भरते समय निविदाता के पास अनुज्ञा पत्र (फूड लाईसेंस) नहीं हो तो निविदा स्वीकृत होने के पूर्व एक माह के भीतर-भीतर उसे राज्य सरकार से अधिकृत नियमानुसार अनुज्ञा पत्र (फूड लाईसेंस) अपने स्तर पर प्राप्त करके कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा तदपरांत कार्यादेश जारी किया जावेगा। छात्रावास के अन्दर कार्य करने वाले श्रमिक कार्य के दौरान एवं निर्धारित ड्रेस में होंगे जो कि अनुबन्धकर्ता द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।
27. अनुबन्धकर्ता/प्रतिनिधि सभी प्रकार की खाद्य सामग्री बनाने में निपुण होने चाहिए तथा अनुबन्ध कार्य के सफल संचालन हेतु लगभग 60 मानव कार्य दिवस प्रतिमाह होंगे।

28. अनुबन्धकर्ता को छात्रावास काउन्टर पर शिकायत/सुझाव पुस्तिका रखनी होगी जिसमें संस्थान के अधिकारी/कर्मचारी/मेहमान आदि शिकायत/सुझाव लिख सकेंगे तथा इस पुस्तिका का प्रभारी, स्नातकोत्तर छात्रावास द्वारा समय-समय पर अवलोकन किया जावेगा।
29. अनुबन्धकर्ता को प्रभारी, स्नातकोत्तर छात्रावास/प्रतिनिधि के दिशा-निर्देशानुसार कार्य करना होगा।
30. अनुबन्धकर्ता को स्नातकोत्तर छात्रावास के रसोईघर व भोजनकक्ष के साथ भण्डार गृह में खाद्य सामग्री एवं पेय पदार्थ (नशे वाले पेया को छोड़कर) रखने, पकाने, तैयार करने, आपूर्ति करने एवं त्रिकय करने के लिये अनुज्ञा दी जावेगी। उक्त सामानों को रखने, पकाने, तैयार करने, परोसने आदि का कार्य निविदादाता या उसके प्रतिनिधियों द्वारा होगी। संस्थान के भवनों में प्रवेश व निकास को अधिकार निविदादाता के वास्तविक कर्मचारी/एजेन्ट को निर्धारित सामानों की आपूर्ति करने के लिये होगी।
31. संस्थान के स्नातकोत्तर छात्रावास में दिये जाने वाले खाना, चाय नास्ता, अन्य पेय पदार्थ आदि की दरें संस्थान द्वारा निर्धारित की हुई हैं जिनकी पालना करना अनुबन्धकर्ता के लिये अनिवार्य होगा। साथ ही इन दरों को सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा आवश्यकतानुसार समय-समय पर संशोधित किया जावेगा।
32. अतिथिगृह/स्नातकोत्तर छात्रावास में आपूर्ति किये जाने वाला सामान उच्च गुणवत्ता या प्रभारी स्नातकोत्तर छात्रावास द्वारा सुझाई गई/निर्धारित की गई गुणवत्ता वाला होगा। प्रभारी, स्नातकोत्तर छात्रावास, सक्षम अधिकारी अथवा उसके प्रतिनिधि किसी भी समय स्नातकोत्तर छात्रावास में आकर खाद्य/पेय सामग्री को निरीक्षण कर सकते हैं एवं उनके द्वारा प्रयोग/आपूर्ति किये जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता का स्तर सुधारने के लिये लिया गया निर्णय अनुबन्धकर्ता को मान्य होगा। साथ ही राज्य सरकार के स्वास्थ्य अधिकारियों को भी खाद्य सामग्री का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकारी होगा।
33. अनुबन्धकर्ता की यह जिम्मेदारी होगी कि अनुबन्ध के दौरान लगाये जाने वाले कार्मिकों किसी संक्रामक रोग से पीड़ित नहीं हो, निर्धारित यूनीफार्म (एप्रेन) में हो तथा कर्मचारियों/अधिकारियों/मेहमानों आदि से बातचीत/व्यवहार में विनम्रता, ईमानदारी, संयमी एवं शिष्ट हो। अनुबन्धकर्ता अथवा उसके कर्मचारियों द्वारा किसी प्रकार की अवज्ञा/अवहेलना करने की स्थिति में अनुज्ञा-पत्र को निरस्त किया जा सकता है।
34. खाना बनाने वाले एवं परोसने वाले को एप्रेन, केप, हाथों के दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा जिसका खर्चा स्वयं अनुबन्धकर्ता द्वारा वहन किया जावेगा।
35. अनुबन्ध के दौरान अनुबन्धकर्ता को स्नातकोत्तर छात्रावास, ऑडिटोरियम की आन्तरिक/बाहरी सुरक्षा, रख-रखाव व हाऊस कीर्पिंग कार्य करना होगा।
36. स्नातकोत्तर छात्रावास के अन्दर खाद्य/पेय सामग्री बनाने/तैयार करने के लिये बिजली का हीटर व लकड़ी के ईंधन का इस्तेमाल करने की पूर्ण पाबन्दी रहेगी। अनुबन्धकर्ता को एल.पी.जी. गैस कनेक्शन संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा तथा सिलेण्डर को भरवाने व इसका भुगतान (को-ओपरेटिव स्टोर, अविकानगर के मापदण्डों के अनुसार जो भी राशि हो) करने की व्यवस्था स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी। यह कनेक्शन केवल हॉस्टल कार्य के लिये ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। साथ ही आवश्यक सुरक्षा मापदण्डों का पालन करने की जिम्मेदारी भी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी। सिलेण्डरों को नियमानुसार संस्थान के को-ओपरेटिव स्टोर से भरने की सुविधा प्रदान जावेगी परन्तु सिलेण्डरों को भरवाने की व्यवस्था स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी। गैस चूल्हा/भट्टी की व्यवस्था अनुबन्धकर्ता को ही करनी होगी।
37. ऑडिटोरियम व स्नातकोत्तर छात्रावास में अनुबन्धकर्ता को किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य अथवा बदलाव आदि की अनुमति नहीं दी जावेगी। यदि किसी प्रकार निर्माण/बदलाव आवश्यक हुआ तो अनुबन्धकर्ता को सक्षम अधिकारी महोदय के समक्ष प्रार्थना पत्र पस्तुत करना होगा। यदि बिना अनुमति के निर्माण/बदलाव किया गया तो अनुबन्ध तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा साथ ही जमा जमानत राशि भी जब्त करली जावेगी।
38. अनुबन्ध की अवधि में किसी श्रमिक को लगाया या हटाया जाता है तो उसकी पूर्ण जानकारी या सूचना प्रभारी को देनी होगी।
39. श्रमिकों के बारे में निर्धारित रजिस्टर/मस्टरोल आदि का रख-रखाव स्वयं अनुबन्धकर्ता को करना होगा तथा लगाये गये श्रमिकों का EPF/ESI इत्यादि यदि नियमानुसार देय होता है तो अनुबन्धकर्ता द्वारा स्वयं के देय बिल राशि से देना होगा। संस्थान द्वारा इस विषय में कोई भी अलग से भुगतान का दावा स्वीकार नहीं करेगा। इस प्रकार का निस्तारण अनुबन्धकर्ता स्वयं अपने स्तर पर करेगा।

40. संबन्धित वित्ती वर्ष में या समय-समय पर होने वाले संशोधन के अनुसार अनुबन्धकर्ता के देय मासिक बिल में से नियमानुसार सेवाकर/आयकर (Service Tax/Income Tax) एवं उस पर लगने वाले सरचार्जेज राशि की भी कटौती की जावेगी।
41. अनुबन्धकर्ता/प्रतिनिधि द्वारा कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता/गैर जिम्मेदारी/अवज्ञा की गई अथवा संस्थान में किसी प्रकार की चोरी/क्षति पहुँचाई जाती है तो उसकी वसूली स्वयं अनुबन्धकर्ता के देय बिल से काट ली जावेगी और अनुबन्ध निरस्त कर अमानत व जमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
42. कार्य के बिल का भुगतान प्रत्येक माह अनुबन्धकर्ता द्वारा बिल तीन प्रतियों में पूर्व प्राप्ति रसीद के साथ प्रस्तुत करने पर निश्चित समय अवधि 30-45 दिन में किया जावेगा।
43. अनुबन्धकर्ता को अनुबन्ध की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कि तहत् समय-समय पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी तथा कर्मचारियों को चेक/आर.टी.जी.एस. के माध्यम से भुगतान करना होगा। यदि किसी परिस्थिति में नकद भुगतान करना पड़े तो प्रभारी के समक्ष भुगतान करना होगा। यदि भुगतान से सम्बन्धित किसी भी श्रमिक द्वारा कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई राशि का पूर्ण भुगतान करने की जिम्मेदारी भी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी। साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा।
44. अनुबन्धकर्ता द्वारा जिन प्रतिनिधियों को अनुबन्ध कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा उनका परिचय-पत्र अनुबन्धकर्ता द्वारा स्वयं बनाकर फोटोयुक्त परिचय-पत्र अधिकृत अधिकारी (सुरक्षा अनुभाग) से जारी करवाकर प्रभारी, स्नातकोत्तर छात्रावास में प्रस्तुत करना होगा। परिचय-पत्र का व्यय अनुबन्धकर्ता को वहन करना होगा। प्रतिनिधियों को फोटो पहचान-पत्र आवश्यकत होगा। साथ ही प्रतिनिधियों का नाम, पता व मोबाईल नम्बर इत्यादि प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा। अनुबन्धकर्ता यह भी सुनिश्चित करने का श्रम करें कि उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये फोन नं. चालू हालात में हो।
45. श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख अनुबन्धकर्ता को तैयार कराना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा मॉगने पर प्रस्तुत करना होगा।
46. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार अविकानगर, मालपुरा होगा। किसी भी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदेशक केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान को होगा। जिसे अनुबन्धकर्ता द्वारा मान्य होगा।
47. यह कार्य केवल अनुबन्ध की प्रकृति (जॉब कोन्ट्रैक्ट के आधार पर) के लिये ही माना जावेगा। ठेके की अवधि व उसके उपरान्त अनुबन्धकर्ता अथवा उसके प्रतिनिधि का जॉब कोन्ट्रैक्ट कार्य के अतिरिक्त संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।
48. संस्थान के सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बतायें किसी भी समय जारी अनुबन्ध आदेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
49. सफल अनुबन्धकर्ता को 500/- रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये एग्रीमेन्ट देना होगा, जिसका प्रारूप क्रय अनुभाग से प्राप्त करना होगा।
50. संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय को बिना कोई कारण बताये किसी भी एक/सभी निविदाओं/कोटेशनों को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
51. यह सूचना इस संस्थान की वेबसाईट www.cswri.res.in e-procure.gov.in पर उपलब्ध है।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

Chapter III- General Terms & Conditions

1. Tenderers are advised to go through all the points mentioned in the terms and conditions of tender carefully before submitting the tender document. Incomplete/unsigned/conditional tenders will be summarily rejected and no correspondence will be entertained in this regard.
2. Before submission of the tender, the tenderer/contractor may inspect/visit the hostile area site and get acquainted himself with reference to conditions and to nature of work required to be performed/executed at this Institute to avoid any ambiguity or confusion.
3. **The contract will be awarded to the least responsive bidder based on the rates quoted by the firm. In case, the institute finds that the rates quoted by the tenderer is not sufficient to cover the cost of engaging minimum number of personnel at minimum wages along with other statutory requirement as specified by Govt. of India for Agricultural Sector in guest house maintenance such bids will be financially non responsive and will be summarily rejected. In case of two or more tenderers quote same rates the tenderer having higher experience in relevant work will be given preference.**
4. The Director ICAR-CSWRI, Avikanagar reserves the right to accept or reject any tender without assigning any reason.
5. If successful tenderer does not accept the offer within 15 days, after issuance letter of award the offer will stand withdrawn & earnest money will be forfeited, and no correspondence will be entertained in this regard.
6. The successful firm will have to sign an agreement (format will be provided by the institute with offer) on nonjudicial stamp paper of appropriate value not less than **Rs. 500/-** along with the **Security Deposit @5% of contract value** in form of Account Payee Demand Draft/banker's Cheque or FDR/TDR in favour of **ICAR Unit CSWRI, Avikanagar** within 15 days after issue of letter of award. It is clarified that no interest on security deposit shall be payable and security deposit money will be refundable only after the expiry/termination of the contract period and adjusting the dues and /or forfeiture if any.
7. The contract will be awarded initially for a period of one year and thereafter will be extendable up to one more year, subject to the satisfactory performance, on the same terms & conditions.
8. The firm will be disqualified and black listed and security deposit forfeited, if it is found that they sublet the contract, wholly or partially, during the period of the contract. A register for complaint /surprise/routine checks shall be maintained by the contractor which may also be inspected by authority of institute.
9. All the deployed workers must be in sound health, between 18-60 years of age. The firm should submit police verification/ fitness certificate for each deployed worker and issue them an identity card as well as appropriate uniform at the cost of contractor.
10. It will be the responsibility of the firm to look after the health and welfare of the personnel deployed as per the statutory requirements and rules. Such records would be maintained in registers and should be produced as and when demanded by the Institute.
11. The contractor shall maintain a register of complaint/work and duties performed which shall be verified by the institute.
12. **PENALTY CLAUSE:** Any loss/damage occurred by the Firm/Firm to the Institute property during the transaction/currency of the contract, the clause liquidated damages for **Rs.500/-** per day shall be imposed, if the Firm fails to replace/rectify the damage/loss within a week. In case of any of the above contingencies, the First Party shall have the right to terminate this agreement forthwith without notice and recover aforesaid amount for security deposit and shall not be liable to any damages and/ or loss, which may be suffered by the agency on account of termination of this agreement. The same shall be without any financial implication on part of the First Party. The decision of the Director, ICAR-CSWRI, Avikanagar will be final and binding in this regard.
13. If the contractor does not discharge his duties up to the satisfaction of I/c PG Hostle the contract will be terminated before expiry period and the security money will be forfeited.
14. In case any problem arises on account of non-compliance of any statutory Law, the sole responsibility will be on the concerned firm. The Institute will not be responsible for any liability in this regard.
15. If any loss is incurred to the institute due to negligence or malafied intentions of the firm or any of its employees, the firm will make good the losses incurred to institute. The decision of the Director, ICAR-CSWRI, Avikanagar will be final and binding in this regard.
16. The firm must abide by all the Labour Laws in vogue for which the responsibility will solely be lying on the concerned firm. The payment to labourers engaged by the firm must be as per minimum wages prescribed by the Govt. of India for Agricultural Sector through the bank transfer, on or before 10th day of following month. The details of the payment are to be submitted to the office for processing the bill.

17. The labourers engaged by the firm will have no claim for any regular employment in the Institute/ICAR at any point of time, as this arrangement is purely on the contractual basis between the Institute and the firm
18. In case of any accident/loss of life of the worker during discharging duties, all the liabilities/ compensation shall be borne by the firm and ICAR-CSWRI, Avikanagar shall not have responsibility in this regard.
19. The firm must submit proof of depositing the EPF and ESIC contributions along with the name and account numbers of the deployed labour and Challan of the deposited GST for the billing period (if applicable).
20. The bill in triplicate for work carried out in billing period is to be submitted in the Office for claiming the monthly payment through a Coordinator appointed by the Institute. No part payment request would be entertained.
21. The Director ICAR-CSWRI, Avikanagar reserves the right to review the performance whenever felt necessary also to terminate the contract at any point of time during the tenure of contract in case the performance and service rendered by firm are found to be unsatisfactory, without giving any prior notice. The decision of Director, ICARCSWRI, Avikanagar shall be final and binding on the contractor.
22. Contract can also be terminated at any point of time if the above mentioned work is no more required. Contract cannot be terminated by contractor firm before expiry of the contract period. **Violation would invite forfeiture of security deposit.**
23. In the case of any dispute between the institute and the firm, the Director, ICAR-CSWRI, Avikanagar will appoint an arbitrator within one month of the dispute, whose decision will be binding on both the parties; the legal jurisdiction will be Malpura only.
24. The TDS will be deducted as per Income tax extant rules.
25. The contractor or its worker shall not misuse the premises allotted to them for any purpose other than for which contract is awarded.
26. The contractor/ his authorized representative shall report immediately whenever called by HOD/Incharge on receiving telephone message to attend any complaint.
27. The Contractor firm or its partners/Directors should not been declared insolvent any time. Further they are not declared defaulters / black listed by any Bank/ Financial Institute/ State oriented Govt. organization, Autonomous body etc.

Assistant Administrative Officer (S&P)

भा.कृ.अ.प.- केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर
तहसील-मालपुरा, जिला-टोंक, राजस्थान - 304501

क्रमांकद: 6(378)एसपी/2024

दिनांक 15-10-2024

निविदा स्वीकारोक्ति पत्र (Tender Acceptance Letter)

संस्थान के स्नातकोत्तर छात्रावास व ऑडोटोरियम की आन्तरिक सुरक्षा, हाऊस कीपिंग तथा मैस संचालित करने से सम्बन्धित कार्य को वार्षिक अनुबन्ध/जॉब कोन्ट्रैक्ट के आधार पर सम्पन्न करवाने की नियम व शर्तें

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने निविदा में दर्शायी गई सभी नियम व शर्तें भली-भाँति पढली है तथा मुझे पूर्णरूप से स्वीकार है। मैं यह भी वचन देता हूँ कि मुझे व मेरे प्रतिनिधि को उपरोक्त निविदा प्रपत्र में दर्शाये गये सभी कार्यों का पूर्ण ज्ञान है। मैं उपरोक्त दर्शायी गई दरों पर **संस्थान के स्नातकोत्तर छात्रावास व ऑडोटोरियम की आन्तरिक सुरक्षा, हाऊस कीपिंग तथा मैस संचालित करने से सम्बन्धित कार्य को वार्षिक अनुबन्ध/जॉब कोन्ट्रैक्ट के आधार पर सम्पन्न करवाने की नियम व शर्तें** के आधार पर करने के लिये सहमत हूँ। मैं यह वचन देता हूँ संस्थान द्वारा समय-समय उपरोक्त या उनके प्रतिनिधि से समय-समय पर सम्पर्क करके उक्त दर्शायी गई दरों पर संस्थान में कार्य करूंगा तथा तथा मैं प्रभारी, अतिथिगृह या उनके प्रतिनिधि से समय-समय पर सम्पर्क करके उनके निर्देशानुसार अनुबन्ध कार्य करता रहूंगा। मैं अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करूंगा और संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों से विनम्रता पूर्वक व्यवहार रखूंगा। यदि मेरे या प्रतिनिधियों द्वारा अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान/हस्तक्षेप करने/या उनके द्वारा बताये जाने वाले कार्य को करने के लिये मना आदि करता हूँ तो मेरे द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत/जमानत राशि को जप्त करके अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता है, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।

यह भी वचन देता हूँ कि मैं भारत/राजस्थान सरकार के प्रचलित सभी श्रमिक नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूंगा तथा मेरे द्वारा लगाये गये सभी प्रतिनिधियों की मजदूरी का भुगतान समय-समय पर निर्धारित दैनिक मजदूरी की दर से करूंगा।

यह मेरे/हमारे संज्ञान में भली-भाँति से है कि आपके द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु निविदाओं में आप न्यूनतम अथवा किसी अन्य निविदाओं को स्वीकर करने हेतु बाध्य नहीं है एवं सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मुझे/हमें मान्य है। अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के उपरान्त मेरा व मेरे द्वारा लगाये गये प्रतिनिधियों का इस संस्थान से जॉब कोन्ट्रैक्ट के अलावा कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा और नही मैं किसी प्रकार का संस्थान के खिलाफ कोई कार्यवाही करूंगा।

दिनांक

हस्ताक्षर ठेकेदार/फर्म प्रतिनिधि मय सील
पूरा पता
टेलिफोन/मोबाईल नं.

NON BLACKLISTING CERTIFICATE

[To be submitted on letterhead]

I/We hereby certify that the [Name of the company / firm] has not been ever blacklisted/debarred by any Central / State Government / Public Undertaking / Institute on any account.

I/We also certify that firm will supply the item perform the duties as per the specification given by ICAR-CSWRI, Avikanagar and also abide all the terms and conditions stipulated in Contract.

I/We also certify that the information given in bid is true and correct in all aspects and in any case at a later date it is found that any details provided are false and incorrect, contract given to the concern firm or participation may be summarily terminated at any stage, the firm will be blacklisted and ICAR-CSWRI, Avikanagar may imposed any action as per NIT rules.

Date:
Place:

Name:
Business Address :
Signature of Bidder:
Seal of the Bidder:

भा.कृ.अ.प.- केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर
तहसील-मालपुरा, जिला-टोंक, राजस्थान - 304501

क्रमांकद: 6(378)एसपी/2024

दिनांक 15-10-2024

वित्तीय निविदा

संस्थान के स्नातकोत्तर छात्रावास व ऑडोटोरियम की आन्तरिक सुरक्षा, हाऊस कीर्पिंग तथा मैस संचालित करने से सम्बन्धित कार्य को वार्षिक अनुबन्ध/जॉब कोन्ट्रैक्ट के आधार पर सम्पन्न करवाने की नियम व शर्ते

क्र०सं०	कार्य का नाम	दर प्रति माह –रूपयों में
1.	संस्थान के स्नातकोत्तर छात्रावास व ऑडोटोरियम की आन्तरिक सुरक्षा, हाऊस कीर्पिंग तथा मैस संचालित करने से सम्बन्धित कार्य को वार्षिक अनुबन्ध/जॉब कोन्ट्रैक्ट के आधार पर सम्पन्न करवाने बाबत ।	दर BOQ शीट में अलग से स्वीकार की जाएंगी ।

उपरोक्त कार्य अनुबंध में कुशल श्रेणी के 60 मानव कार्य दिवस प्रतिमाह की आवश्यकता होगी।

हस्ताक्षर

फर्म का नाम मय पूर्ण पता

फोन नं०

मो० नं०.